वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली.110 001
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi- 110 001

4-12(13)/2024-HR-II

Dated 21.03.2025

प्रेषक

संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में

सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/ संस्थानों / इकाइयों के निदेशक

विषय: -**सीएसआईआर कर्मचारियों/ पेंशनभोगियों द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति मांग के अनुरोध पर विचार किये जाने हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं में रियायत/ छूट हेतु तकनीकी स्थायी समिति के गठन के संबंध में।**

महोदया/ महोदय,

सीएसआईआर में लागू सीजीएचएस/ सीएस(एमए) नियमावली, 1944 के अनुसार कर्मचारियों और पेंशनभोगियों तथा उन पर आश्रित पारिवारिक सदस्यों के पास आपातकालीन स्थिति में बिना किसी रेफरल/अनुमति पत्र के, नजदीकी सरकारी अस्पताल/सूचीबद्ध निजी अस्पताल या यहां तक कि किसी भी निजी अस्पताल में जाने का विकल्प है। आपातकाल के अंतर्गत किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति संबंधित अस्पताल से प्राप्त आपातकालीन प्रमाण पत्र के साथ-साथ जारी किए गए अनिवार्यता प्रमाण पत्र/ और उपचार करने वाले चिकित्सक द्वारा विधिवत सत्यापित बिलों के आधार पर इस अनुबंध के साथ कि जाएगी कि आपातकाल के अंतर्गत निजी गैर-सूचीबद्ध अस्पताल में किए गए उपचार के मामले में प्रतिपूर्ति सीजीएचएस दरों या वास्तविक, जो भी कम हो, तक सीमित होगी।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 15.07.2014 के अपने कार्यालय ज्ञापन संख्या एच.110022/01/2014-एमएस द्वारा अस्पताल में उपचार करने वाले डॉक्टर या चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी किये जाने वाले अनिवार्यता प्रमाण पत्र की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। यह भी अनुमति दी गई है कि पूर्ण व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु नियमों में छूट के अनुरोध से संबंधित मामलों को तकनीकी स्थायी समिति को अग्रेषित किया जाए, जिसकी अध्यक्षता डीजीएचएस/एडिशनल डीजीएचएस द्वारा की जाएगी और जिसमें निदेशक (सीजीएचएस) और विषय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। यदि तकनीकी स्थायी समिति कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित मानदंडों के अनुसार लाभार्थी द्वारा किए गए व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति की अनुमति देने हेतु नियमों में छूट की सिफारिश करती है, तो सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) द्वारा आईएफडी के परामर्श से पूर्ण व्यय की अनुमति दी जा सकती है।

सीएसआईआर कर्मचारियों द्वारा आपातकालीन स्थिति में उपचार पर किए गए व्यय से सम्बंधित कुछ पूर्ण प्रतिपूर्ति अनुरोध दावों को डीजीएचएस को उनकी स्थायी तकनीकी समिति के समक्ष रखने और उनकी संस्तुतियां प्राप्त करने के लिए भेजा गया था, लेकिन डीजीएचएस ने यह कहते हुए इन संदर्भों पर विचार नहीं किया कि सीएस (एमए)

.....प्रष्ठ सं.-2.....

Phones : EPABX-23710138, 23710144, 23710158, 23710468, 23710805, 23711251, 23714238, 23714249, 23714769, 23715303
Fax : 91-11-23714788
Website : http://www.csir.res.in

नियम केंद्र सरकार के सेवारत कर्मचारियों पर लागू हैं और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय उन स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, जिन्होंने इन नियमों को एकतरफा रूप से अपना लिया है, के दावों पर विचार नहीं करता है।

उपर्युक्त के मद्देनजर, ऐसे मामलों पर विचार किये जाने हेतु सीएसआईआर द्वारा स्थायी तकनीकी समिति के गठन संबंधी मामले को शासी निकाय के समक्ष रखा गया था। शासी निकाय ने दिनांक 6 जनवरी, 2025 को आयोजित अपनी 207वीं बैठक में इस बात को मंजूरी दी है कि संबंधित प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक आपातकालीन स्थिति में चिकित्सा उपचार पर किए गए व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति के दावों पर विचार किये जाने के सम्बन्ध में स्थायी तकनीकी चिकित्सा समितियों का गठन निम्नानुसार कर सकते हैं:

संबंधित प्रयोगशाला/ संस्थान के मुख्य वैज्ञानिक	तकनीकी चिकित्सा समिति के अध्यक्ष
संबंधित विषय के सरकारी अस्पताल/ सरकारी चिकित्सा संस्थान से दो विशेषज्ञ, जिनका वेतन स्तर 13 अथवा उससे ऊपर का हो।	सदस्य
संबंधित प्रयोगशाला/संस्थान के चिकित्सा अधिकारी **अथवा** जिन प्रयोगशालाओं/ संस्थानों, के पास अपना औषधालय/चिकित्सा अधिकारी नहीं है, के मामले में [सहयोगी प्रयोगशाला/संस्थान के चिकित्सा अधिकारी]।	सदस्य संयोजक

यदि समिति दावेदार द्वारा किए गए व्यय की पूर्ण प्रतिपूर्ति के लिए नियमों में छूट देने की सिफारिश करती है, तो प्रयोगशालाएं/संस्थान मामले के पूर्ण तथ्यों, टीएससी की सिफारिशों और प्रयोगशाला/संस्थान के निदेशक के विचारों के साथ आईएफडी की सहमति और महानिदेशक, सीएसआईआर का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए मामले को सीएसआईआर मुख्यालय को भेज सकते हैं।

ये अनुदेश अधिसूचना जारी होने की तारीख से लागू होंगे, तथापि प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय द्वारा पहले ही प्राप्त किए गए दावे, जो केवल एसटीसी द्वारा विचार के लिए लंबित हैं, को इन अनुदेशों के अनुसार गठित स्थायी तकनीकी समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

भवदीया,

(पूर्णिमा अरोड़ा)
उप सचिव